इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 174] भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 मई 2015—वैशाख 21, शक 1937

### वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 मई 2015

क्र. एफ-बी-4-06-2015-2-पांच-(11).—मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 89-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, रजिस्ट्रीकरण पुस्तक में दस्तावेजों तथा सूचनाओं की सत्य प्रतिलिपियों का फाइल किया जाना नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में, खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएं, अर्थात्:—

"(ख) "लोक अधिकारी" से अभिप्रेत है भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 33 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन राज्य शासन द्वारा अवधारित लोक कार्यालय का कोई भारसाधक व्यक्ति;

"(ग)"सम्पदा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण नियम, 1939 में यथा परिभाषित सम्पदा".

2. नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"3. **ज्ञापन के साथ सत्य प्रतिलिपि संलग्न होगी**—अधिनियम की धारा 89-क के अधीन भेजा जाने वाला ज्ञापन इन नियमों से संलग्न प्रारूप-क में तैयार किया जाएगा तथा रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिश: अथवा "सम्पदा" के माध्यम से भेजा जाएगा.".

3. नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"4. अधिनियम की धारा 89-ख के अधीन हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक सृजित किए जाने के पश्चात् बंधककर्ता द्वारा

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजी जाने वाली सूचना—

(1) अधिनियम की धारा 89-ख के अधीन भेजी जाने वाली सूचना इन नियमों से संलग्न प्ररुप-ख में तैयार की जाएगी तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिश: भेजी जाएगी.

(2) ऐसे क्षेत्रों में जहां ''सम्पदा'' अधिसूचित है, उपधारा (1) में सूचना, विहित फीस लेने के पश्चात्, बंधककर्ता की ओर से लोक अधिकारी द्वारा ''सम्पदा'' के माध्यम से भेजी जाएगी.

4. नियम 5 में उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(1) ज्ञापन या सूचना की प्रत्येक प्रति का उसकी प्राप्ति पर परीक्षण किया जाएगा और वह सही पाई जाती है तो उसे अनुपूरक पुस्तक क्रमांक-1 में उस पर निम्नलिखित पृष्ठांकन के साथ फाईल किया जाएगा:—

''अनुपूरक पुस्तक क्रमांक 1, में अनुक्रमांक . . . . . पर दिनांक . . . . . सन् . . . . .को फाईल किया गया.''

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं पदनाम''.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**रवीन्द्र कुमार चौधरी,** उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 मई 2015

क्र. एफ-बी-4-06-2015-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-4-06-2015-2-पांच-(11), दिनांक 11 मई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**रवीन्द्र कुमार चौधरी,** उपसचिव.

Bhopal, the 11th May 2015

No. F-B-4-06-2015-2-V-(11).—In exercise of the powers conferred by Section 89-C of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), as applicable to the State of Madhya Pradesh, the State Government, hereby, makes the following amendments in the Filing of True Copies of Documents and Notices in the Registration Book Rules, 2010, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 2, after clause (a), the following clauses shall be added, namely:—

"(b) 'Public Officer' means any person in charge of public office as determined by the State Government under clause (b) of sub-Section (3) of Section 33 of the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899);

'(c) SAMPADA' means SAMPADA' as defined in the Madhya Pradesh Registration Rules, 1939.".

2. For rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—

"3. **Memorandum to be accompanied by true copy**—The memorandum to be sent under Section 89-A of the Act shall be prepared in Form A appended to these rules and shall be sent to the Registering Officer by registered posr or in person, or through "SAMPADA.".

3. For rule 4, the following rule shall be substituted, namely:—

**"4. Notice to be sent to Registering Officer by mortgagor after creation of mortgage by depositing title deeds under Section 89-B of the Act.**

(1) The notice to be sent under Section 89-B of the Act shall be prepared in Form B appended to these rules and shall be sent to the Registering Officer by registered post or in person.

(2) In such areas, where SAMPADA is notified, the Notice in sub-section (1) may be sent through SAMPADA by the Public Officer on behalf of the mortgagor, after taking prescribed fee.".

4. In rule 5, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) Each copy of memorandum or notice shall be examined on its receipt, and if found correct shall be filed in Supplementary Book No. 1 with the following endorsement to be recorded thereon—

Filed in Supplementary Book No.1 as serial number . . . . . .on the . . . . day of . . . . . .

Signature and designation of the
Registering Officer.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.